न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–39 / 2022
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–22.07.2022
निर्णय दिनांक–20.03.2024

सायरी पत्नि हरिराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदार पीपलू
2. पटवारी हल्का, गहलोद
3. भू0 अभिलेख निरीक्षक, गहलोद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम शुद्धी किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 645 / 13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पूर्व में बिसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि थी, जो की बीसलपुर विस्थापितो के नाम आवंटन हुई थी। जिसका सुपुर्दगीनामा अनुसार कब्जा आवंटी को मौके पर संभलाकर, नक्शा शीट तरमीम कर दी गई थी। जिस पर आवंटी काबिज रहकर काश्त कर रहे थे। तत्पश्चात आवंटी ने इस भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थीया को बेचान कर दिया तथा इस भूमि की खरीद पश्चात प्रार्थीया ही इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का आवंटन पश्चात आवंटियों का सुपुर्दगीनामा अनुसार कब्जा संभला कर, जो नक्शा शीट में तरमीम की गई थी। उसमें उक्त भूमि गहलोद से देवरी रोड के दक्षिण दिशा की तरफ दर्ज की गई थी एवं मौके पर भी यह भूमि रोड के दक्षिण दिशा की तरफ ही है। लेकिन उसके पश्चात जो नई ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम की गई। उसमें बिना मौके की स्थिती देखे एवं प्रार्थीया के कब्जे की जांच किये राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही पूर्वक इस भूमि को इसके सुपूर्दगीनामे के कब्जे के स्थान एवं पुरानी नक्शा शीट में दर्ज अंकन के बजाय अन्य खातेदारो के भूमि पर अंकित कर दिया गया एवं तरमीम में अलग अलग जगह पर दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 645 / 13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसकी वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्ती करवायी प्रार्थीया के कब्जे अनुसार एवं पूर्व की

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

क्शा शीट में तरमीम के अनुसार उक्त भूमि की नई ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम दुरूस्ती करवायी जाकर अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गहलोद के आराजी ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. सायरी पत्नि हरिराम जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर दिनांक 29.11.1995 को बिसलपुर आंवटियों को कब्जा सुपुर्दगीनामा किया गया था। प्रार्थीया खातेदार ने उक्त भूमि बिसलपुर आंवटियों से क्रय किया था। तत्कालीन सुपुर्दगीनामा का अवलोकन करने के उपरान्त यह सिद्ध होता है की भूमि आराजी ख0न0 645/13 की डिजिटल शीटो में तरमीम कार्य किये जाने के दौरान त्रुटी हुई है अर्थात वर्तमान में दर्शाये गये डिजिटल शीट में तरमीम गलत स्थान पर है। अतः तरमीम को संलग्न सुपुर्दगीनामा अनुसार शुद्ध किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

प्रार्थीया ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद, पटवार हल्का गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पूर्व में बिसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि थी, जो की बीसलपुर विस्थापितो के नाम आवंटन हुई थी। जिसका सुपुर्दगीनामा अनुसार कब्जा आवंटी को मौके पर संभलाकर, नक्शा शीट तरमीम कर दी गई थी। जिस पर आवंटी काबिज रहकर काश्त कर रहे थे। तत्पश्चात आवंटी ने इस भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थीया को बेचान कर दिया तथा इस भूमि की खरीद पश्चात प्रार्थीया ही इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का आवंटन पश्चात आवंटियों का सुपुर्दगीनामा अनुसार कब्जा संभला कर, जो नक्शा शीट में तरमीम की गई थी। उसमें उक्त भूमि गहलोद से देवरी रोड के दक्षिण दिशा की तरफ दर्ज की गई थी एवं मौके पर भी यह भूमि रोड के दक्षिण दिशा की तरफ ही है। लेकिन उसके पश्चात जो नई ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम की गई। उसमें बिना मौके की स्थिती देखे एवं प्रार्थीया के कब्जे की जांच किये राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही पूर्वक इस भूमि को इसके सुपुर्दगीनामे के कब्जे के स्थान एवं पुरानी नक्शा शीट में दर्ज अंकन के बजाय अन्य खातेदारो के भूमि पर अंकित कर दिया गया एवं तरमीम में अलग अलग जगह पर दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसकी वर्तमान नक्शा शीट में दुरूस्ती करवायी प्रार्थीया के कब्जे अनुसार एवं पूर्व की नक्शा शीट में तरमीम के अनुसार उक्त भूमि की नई ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम दुरूस्ती करवायी जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की ग्राम गहलोद के आराजी ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. सायरी पत्नि हरिराम जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर दिनांक 29.11.1995 को बिसलपुर आंवटियों को कब्जा सुपुर्दगीनामा किया गया था। प्रार्थीया खातेदार ने उक्त भूमि बिसलपुर आंवटियों से क्रय किया था। उक्त खसरा नम्बर की डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत् नक्शों के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

डिजीटाईजेशन प्रक्रिया के दौरान वेंडर से प्राप्त प्लास्टिक नक्शा शीट के नक्शे में तरमीम पूर्व रिकॉर्ड से भिन्न हो गया हैं। हाल नक्शा शीट में अंकन त्रुटीपूर्ण होने से दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम में किये जाने वाले संशोधन संलग्न सुपुर्दगीनामा से दर्शाया गया है। उक्त त्रुटी दुरूस्त किया जाना आवश्यक एव न्यायसंगत है।

पत्रावली में प्रस्तुत पूर्व नक्शा शीट एवं हाल नक्शा शीट, संलग्न सुपुर्दगीनामा एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू के जवाब के अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद, पटवार हल्का गहलोद की हाल ही में डी.आई.एल. आर.एम.पी. शीट में जो तरमीम की गई है। वह त्रुटीपूर्ण है। उक्त त्रुटीपूर्ण राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से होना स्पष्ट हैं। तहसीलदार पीपलू ने भी अपनी बहस में उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को स्वीकार किया है एवं पूर्व नक्शा शीट व संलग्न सुपुर्दगीनामा अनुसार दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. वाके ग्राम गहलोद, पटवार हल्का गहलोद की हाल में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए मुताबिक सुपुर्दगीनामा व पूर्व नक्शा शीट किये गये तरमीम अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू ख0न0 645/13 रकबा 0.4046 हैक्ट. ग्राम गहलोद की नक्शा शीट डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट से पूर्व शीट अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कलेक्टर)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner